विवरण

दूर संचार विभाग के सभी मुख्य महाप्रबंधकों आदि को सम्बोधित 1-7-92 के पत्र सं० 2-30/92-पी.एच.ए. की प्रतिलिपि ।

विषय :—अखिल भारतीय आधार पर टेलीफोन शिफ्ट करना ।

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर टेलीफोन शिफ्ट करने की अनुमति नहीं दी जाती है । इससे, यह देखा गया है कि कई वर्षों से टेलीफोन का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं को बहुत असुविधा होती है, अर्थात् उनके अपने स्थानांतरण के परिणामतः उन्हें नई जगह पर टेलीफोन के आबंटन के लिए फिर से प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है ।

2. मामले की जांच करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि बहु-एक्सचेंज क्षेत्र के भीतर टेलीफोन शिफ्ट करवाने के लिए मौजूदा शर्तों के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर टेलीफोन शिफ्ट करने की अनुमति दी जाए ।

3. अखिल भारतीय आधार पर टेलीफोन शिफ्ट करने की अनुमति से संबंधित शर्तें नीचे दी गई हैं :—

(i) आमतौर पर शिफ्ट करने की अनुमति दी जाए यदि जिस एक्सचेंज में टेलीफोन शिफ्ट करना है उससे संबंधित विशिष्ट श्रेणी की रिलीज अवधि के भीतर आने वाले नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र की तारीख पड़ती हो अथवा जहां से टेलीफोन शिफ्ट करना है उस एक्सचेंज क्षेत्र में टेलीफोन पिछले 3 वर्षों के कार्य कर रहा हो, जो भी पहले हो ।

(ii) अखिल भारतीय आधार पर टेलीफोन शिफ्ट करवाने के इच्छुक उपभोक्ता टेलीफोन शिफ्ट करने के लिए निर्धारित फार्म में उस सक्षम प्राधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा । जिसके अधिकार क्षेत्र में वह स्थान पड़ता है, जहां से टेलीफोन शिफ्ट करवाना है और वह सक्षम अधिकारी टेलीफोन को बंद हुआ मानेगा और उपभोक्ता को एक प्रमाण-पत्र देगा जिसमें अन्य बातों के साथ साथ टेलीफोन किस तारीख से कार्य कर रहा है उस तारीख, टेलीफोन कनेक्शन के पंजीकरण संबंधी ब्यौरों का उल्लेख भी होगा । इसके बाद उपभोक्ता उस सक्षम दूरसंचार प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर वह स्थान पड़ता है जहां टेलीफोन शिफ्ट किया जाना है । अपने आवेदन पत्र के साथ उपभोक्ता उपर्युक्त प्रमाण-पत्र भी संलग्न करेगा । तत्पश्चात् उक्त प्राधिकारी, यदि ऊपर उल्लिखित शर्तें पूरी होती हों, तो नई जगह पर उपभोक्ता को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करेगा ।

(iii) नई जगह पर टेलीफोन कनेक्शन संस्थापित करने के लिए संस्थापना प्रभार दुबारा नए सिरे से देने होंगे ।

(iv) ओ०वाई०टी० श्रेणी के उपभोक्ताओं के मामले में सक्षम दूरसंचार प्राधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर वह स्थान पड़ता है जहां से टेलीफोन शिफ्ट किया जाना है, उपभोक्ता को एक प्रमाणपत्र के साथ ओ०वाई० टी० डिपोजिट बकाया राशि वापिस कर देगा । शिफ्टिंग कराने वाले आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ उपर्युक्त बकाया राशि नई जगह पर जमा करनी होगी ताकि उसे ओ.वाई.टी. उपभोक्ता माना जाता रहे ।

यह अनुदेश, आदेशों के जारी होने की तारीख से लागू होंगे ।

ह०—
(आर० बी० बंसल)
सहायक महानिदेशक (पी.एच.ए.)

राजस्थान में एस.टी.डी. सुविधायें

3698. **श्री मूलचन्द मीणा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरों और गांवों को एस०टी० डी० सेवाओं से जोड़ने से संबंधी मानदंड और नीतियां क्या हैं ;

(ख) राजस्थान के गंगापुर शहर, करौली, हिन्डोन, टोडाभीम, मडौती, बोली और सपोटरा शहरों को ऐसे मानदंडों और नीतियों के तहत न लाए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन शहरों को एस.टी.डी. से कब तक जोड़े जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) आठवीं योजना अवधि के दौरान शहरों और गांवों को एस.टी.डी. सेवाओं के साथ जोडने के लिए निम्नानुसार मानदंड और नीतियां रखी गई हैं तथा पहले उल्लिखित मदों पर अधिक बदल दिया जाएगा :

(i) सभी शेष जिला मुख्यालय ।

(ii) सभी उप मंडलीय मुख्यालय ।

(iii) सभी तहसील मुख्यालय ।

(iv) सभी पर्यटन केंद्र, औद्योगिक केंद्र तीर्थ स्थान ।

(v) सभी अन्य एक्सचेंज ।

(ख) राजस्थान के गंगापुर शहर, करौली, हिंडौन, टोडाभीम, नादौती, बोली और सपोतरा को एस.टी.डी. से जोडने की दृष्टि से मानदंडों के अनुसार योजना बनाई गई है और इस पर बल दिया जा रहा है ।

(ग) गंगापुर शहर, करौली और हिंडौन में एस.टी.डी. सुविधा 1992–93 और अन्य स्थानों पर 1993–94 के दौरान प्रदान करने की आशा है ।

Post offices in Bihar

3699. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what criteria is followed by the Government in opening post offices in urban and rural areas, separately of the country;

(b) the number of villages, in the State of Bihar which fulfil the criteria prescribed by Government, are without post offices at present with details thereof; and

(c) by when Government propose to provide Post Offices in all such villages of Bihar?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) The criteria followed for opening new post offices in urban and rural areas are given in the enclosed Statement (*see* below).

(b) and (c) It is not feasible to state the number of villages in Bihar which fulfil the criteria for opening new post offices as only a limited number of proposals are examined at a time depending upon the targets fixed for opening new post offices under the successive Annual Plans.

For the year 1992-93, it is proposed to open 70 branch post offices and 8 departmental sub post offices in Bihar subject to fulfilment of the prescribed income, distance and population norms.

There is, however, no proposal at present for opening post offices in all the villages of Bihar.

Statement

Criteria/Norms fixed for opening new post offices in rural/urban areas.

The following norms for opening branch post offices effective from 1.4.1991 have been adopted.

(i) *Population*:

(a) *In Normal areas*:

3000 population in a group of villages (including the PPO villages).

(b) *In the Hilly, Tribal, Desert and Inaccessible areas*:

500 population in an individual villages or 1000 population in a group of villages.